

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 1680/2023

सरोज जैन (कर्मचारी आई.डी.- आरजेएएल200502034514)

—अपीलार्थी

बनाम

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (ए.सी.ई.एम.) अलवर शहर।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
3. सहायक निर्वाचन अधिकारी, अलवर राजस्थान।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.07.2023

आदेश की दिनांक : 10.07.2023

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री सूर्य प्रकाश शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थिया के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थिया अध्यापिका ग्रेड-III लेवल-प्रथम के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दिवाकरी, उमरेण जिला अलवर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 559 दिनांक 15.06.2023 (अनुलग्नक-1) जारी कर अपीलार्थिया को मतदान केन्द्र पर स्थाई रूप से बी.एल.ओ./सुपरवाइजर नियुक्त करने के आदेश दिये गए हैं, जिस आदेश को इस अपील में चुनौती दी गई है। अपीलार्थिया के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थिया विधवा महिला है। जिस मतदान केन्द्र पर अपीलार्थिया को बीएलओ/सुपरवाइजर नियुक्त किया गया है, वह वर्तमान पदस्थापन विद्यालय से 10 किमी. दूर है। अपीलार्थिया का एक हाथ दो जगह से फैंक्चर हो चुका है। अपीलार्थिया बीमार भी रहती है। इस कारण से अपीलार्थिया बीएलओ के पद पर कार्य करने में सक्षम नहीं है।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के

समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 3 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)